उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

पी0डी0 केश नं0–53/2022–23

रंजीत कुमार

बनाम्

गुंजन कुमार

–: आदेश :–

दिनांक 28/4/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के Dismissal of Headman के कंडिका–II "On account of any proved fraud, violence, contempt of Court or other grave misconduct or of such oppressive or inconsiderate treatement of the raiyats or gross neglect of their interest as may be considered to unfit him for the post." के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी, महागामा की अनुशंसा एवं प्रधान के द्वारा प्रदर्शित किये जा रहे कृत्य एवं निर्वाह किये जा रहे दायित्व के प्रति 16 आना रैयान के विक्षोभ से संतुष्ट होकर उपरोक्त के आलोक में वर्तमान प्रधान मौजा–बभनियां नं0–13, गुंजन कुमार, प्रधान को प्रधानी पद से बर्खास्त किये जाने की अनुशंसा किया गया है एवं आदेश की सम्पुष्टि हेतु अभिलेख प्रेषित किया है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उभय पक्ष को सूचना दिया गया एवं दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं तथा विज्ञ सरकारी वकील को सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी प्रधान के प्रधानी कार्य में दोषी पाये जाने एवं झारखण्ड राज्य से बाहर रहने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के Dismissal of Headman के कंडिका–II एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 60 (2) में दिये गये प्रावधान के तहत विपक्षी को मौजा–बभनियां के प्रधानी पद से बर्खास्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है। चूँकि यह अपील वाद नहीं, बल्कि यह अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का आदेश की सम्पुष्टि से संबंधित है और अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने यह आदेश प्रधान के कर्तव्यों को चूक के कारण पारित किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने यह पाया है कि विपक्षी प्रधान झारखण्ड से बाहर रहने के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है। चूँकि विपक्षी प्रधान का मकान मौजा–बभनियां में है ही नहीं। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पारित आदेश को सम्पूष्ट करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा बिना सच्चाई को जाँच परखे दूसरे के गलत कहानी पर विश्वास कर गलत आदेश पारित कर दिये हैं और गुंजन कुमार प्रधान पर सारा गलत आरोप लगातार प्रधान बर्खास्त का अनुशंसा किये है। विपक्षी गुंजन कुमार प्रधान मौजा–बभनियां नं0–13 के नव नियुक्त प्रधान है जिसे बहाली हुए 01 साल भी नहीं हुआ है एवं पट्टा निर्गत 30.10.21 को हुआ और तब से विपक्षी सही सलामत प्रधानी का कार्य कर रहे हैं। उनका आगे कथन है कि उनका घर बभनियां मौजा में भी है और नया घर बभनियां मौजा के मात्र 80 मीटर की लगभग दूरी पर है और बराबर घर पर ही रहता है और सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन कर सही काम करते हैं। भविष्य में भी कभी कोई शिकायत को मौका नहीं देंगे। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के अनुशंसा को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश को सम्पूष्ट किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी प्रधान के द्वारा अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वाहन नहीं किये जाने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा विपक्षी प्रधान को प्रधानी पद से हटाने के लिए अनुशंसा किया गया है। चूँकि मौजा के रैयतों का आपत्ति है कि विपक्षी प्रधान मौजा में निवास नहीं करते हैं, जिस कारण मौजा के रैयतों में विक्षोभ है। विपक्षी प्रधान के द्वारा मौजा में निवास करने संबंधी कोई भी साक्ष्यजनित कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के अनुशंसा को सम्पूष्ट किया जाता है एवं अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को भेंजे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:00:40 +05:30
Location: 172.21.32.1